यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, राजीव गांधी बहुद्देशीय कॉम्प्लेक्स, चतुर्थ तल, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून- 248001 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, राजीव गांधी बहुद्देशीय कॉम्प्लेक्स, चतुर्थ तल, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून- 248001 के, माह 01.2013 से 11.2017 के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री प्रमोद कुमार चौधरी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री राकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 11.12.2017 से 21.12.2017 तक सम्पादित की गयी।

भाग-I

1). परिचयात्मकः माह 01.2013 में आहरण एवं संवितरण अधिकारी की शक्तियाँ प्राप्त होने के उपरान्त, यह लेखापरीक्षा, इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा थी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, राजीव गांधी बहुद्देशीय कॉम्प्लेक्स, चतुर्थ तल, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून- 248001 के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत समस्त देहरादून जनपद आता है। जनपद में खाद्यान/चीनी, संबन्धित योजनाओ के अंतर्गत, पंजीकृत परिवारों को राशन एवं मिट्टी का तेल का वितरण एवं monitoring की जाती है, जो कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, राजीव गांधी बहुद्देशीय कॉम्प्लेक्स, चतुर्थ तल, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून- 248001 के क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(Rs in Lakh)

foRrh; o"kZ	LFkkiuk ¼2408½		xSj LFkkiuk ¼4408½		dqy vkoaVu	dqy O;;	vf/kD;	cpr
	vkoafVr /kujkf'k	O;; /kujkf'k	vkoafVr /kujkf'k	O;; /kujkf'k				
2012-13	63.18	32.41	0.00	0.00	63.18	32.41	...	30.77
2013-14	148.39	141.55	6.00	4.59	154.39	146.14	...	8.25
2014-15	159.67	155.81	30.71	3.29	190.38	159.10	...	31.28
2015-16	162.58	158.26	47.94	45.47	210.52	203.73	...	6.79
2016-17	211.00	189.29	107.94	105.26	318.94	294.55	...	24.39
2017-18 (till the month 11.2017)	1822.22	156.18	80.00	34.12	1902.22	190.30	...	1711.92

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

(रु लाख में)

वर्ष	लागू नही	लागू नही	लागू नही
प्रारम्भिक शेष			
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ: (क) केंद्रान्श (ख) राज्यांश (ग) अन्य प्राप्तियाँ			
व्यय			
अंतिम शेष			

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष			---	---	---	---	---
प्रारम्भिक अवशेष		---	---	---	---	---	---
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	---		---	---	---	---	
	---		---	---	---	---	
	---		---	---	---	---	
कुल प्राप्तियाँ			---	---	---	---	---
वर्ष के दौरान कुल व्यय			---	---	---	---	---
अंतिम अवशेष			---	---	---	---	---

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ‘C’ श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

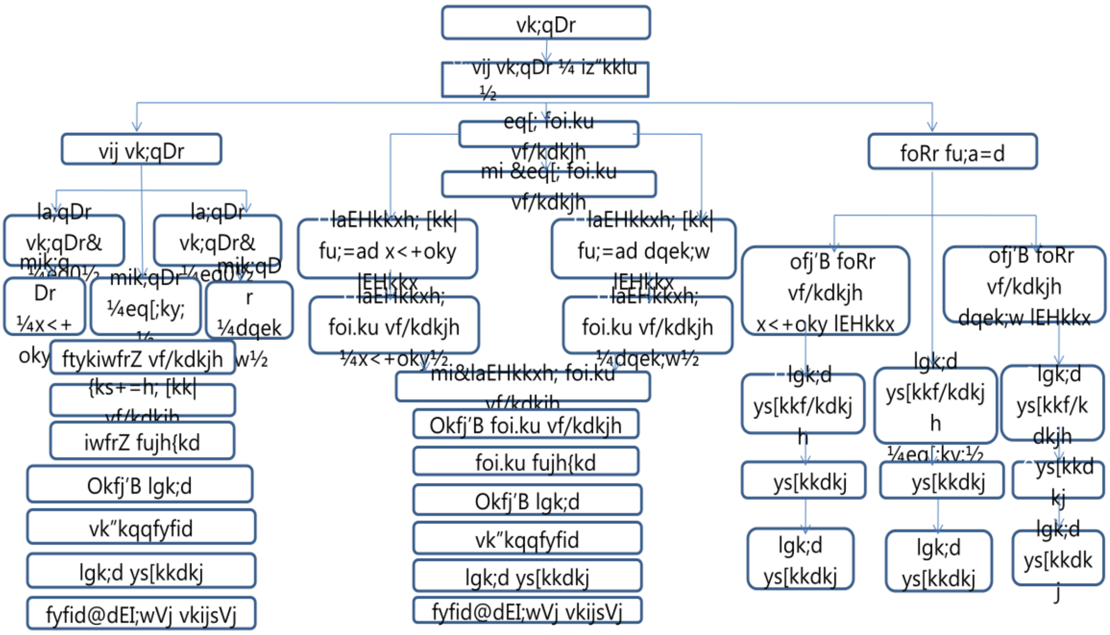

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 01.2013 से 11.2017 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, राजीव गांधी बहुद्देशीय कॉम्प्लेक्स, चतुर्थ तल, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून- 248001 के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, राजीव गांधी बहुद्देशीय कॉम्प्लेक्स, चतुर्थ तल, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून- 248001 की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03.2017 एवं 11.2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया । प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग- 2(ब)</u>

<u>प्रस्तर</u>- 1:- धनराशि रु 3.88 लाख की वसूली का लम्बित होना।

जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा रिवोल्विंग फंड के अंतर्गत कार्डों का मुद्रण कराकर संबन्धित इकाइयों को वितरित किया जाता है एवं उनसे वितरित किए गए कार्डों का मूल्य वसूल कर रिवोल्विंग फंड (SBI A/c No. 1090 1525 181) में जमा करना होता है। लेखापरीक्षा अवधि के माह 11.2017 के अंतिम दिवस को रिवोल्विंग फंड में अन्तिम अवशेष धनराशि रु 25,61,683/- थी। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा तीन प्रकार के राशन कार्ड "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA + BPL); अंत्योदय (AAY) एवं राज्य खाद्य योजना (SFY)" मुद्रित कराकर शासन द्वारा निर्धारित मूल्य क्रमश: रु 5/-, रु 5/- एवं रु 10/- की दर से ब्लाकों एवं नगरीय क्षेत्र को उपभोक्ताओं को जारी करने हेतु निर्गत किए जाते हैं। ब्लाकों एवं नगरीय क्षेत्र को जारी किए गए कार्डों का मूल्य उनसे प्राप्त कर रिवोल्विंग फंड में जमा करना होता है।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून के लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि माह 01.2013 से माह 11.2017 तक ब्लाकों, नगरीय क्षेत्रों को "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA + BPL); अंत्योदय (AAY) एवं राज्य खाद्य योजना (SFY)" के क्रमश: 2,57,657; 14,558 एवं 1,86,477 कार्ड निर्गत किए गए थे, जिनका मूल्य रु 32,29,845/- था। इसके सापेक्ष ब्लाकों एवं नगरीय क्षेत्रों से रु 28,42,048/- ही प्राप्त किए गए थे, शेष धनराशि रु **3,87,797/-** की वसूली 1 वर्ष से 4 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी लेखापरीक्षा अवधि के माह 11.2017 तक लंबित थी। आगे, जांच में यह भी पाया गया की जो धनराशि प्राप्त हुयी थी, उक्त धनराशि को रोकड़-बही में दर्ज न कर, एक साधारण पंजिका में दर्ज किया जा रहा था, जबकि वित्तीय हस्तपुस्तिका (Volume- v, Part-1) के नियम– 26 अनुसार स्पष्ट वर्णित है कि "Government servants receiving money on behalf of the Government, should be entered in the receipt. The officer should satisfy himself at the time of signing the receipt that the amount has been entered in the cash-book.

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर जिला पूर्ति अधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए लम्बित वसूली के सम्बन्ध में कहा कि "***1 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक की धनराशि वसूली हेतु लम्बित है, कार्यवाही प्रक्रियारत है*** " एवं रोकड़-बही का रख-रखाव न किए जाने के सम्बन्ध में कहा कि "***नियमानुसार रोकड़-बही का रख-रखाव किया जायेगा***"। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 1 वर्ष से लेकर 4 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी धनराशि रु 3,87,797/- की वसूली लम्बित थी एवं विभागीय क्षति से बचाने हेतु धनराशि रु 3,87,797/- की यथाशीघ्र वसूली की जानी चाहिये थी।

अत: धनराशि रु 3.88 लाख की वसूली के लम्बित होने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर- 1:- धनराशि रु 1.66 लाख के निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी न किया जाना।

सामान्य वित्तीय नियम के नियम 192 के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार भण्डार का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए एवं नियम 196 और 197 के अनुसार अनुपयोगी सामग्री को निष्प्रयोज्य घोषित कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी की जानी चाहिए ताकि उक्त सामग्री को और मूल्य ह्रास से बचाया जा सके।

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून की डेड-स्टाक अभिलेखों से संबन्धित लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि धनराशि रु 1,65,960/- खराब सामग्रियाँ वर्ष 2014 के पूर्व से ही अक्रियाशील थी, जो मरम्मत योग्य नहीं थी। विवरण:-

सामग्री का नाम	सामग्री की संख्या	पुस्तकीय दर (रु में)	कुल मूल्य (रु में)	सामग्री के प्राप्ति का वर्ष	अकार्यशील/ निष्प्रयोज्य होने का वर्ष	अकार्यशील/ निष्प्रयोज्य होने का कारण
आलमारी (wooden)	17	2000	34000	---	वर्ष 2014 के पूर्व से अक्रियाशील है।	खराब है एवं मरम्मत योग्य नहीं हैं।
आलमारी (Iron)	18	1800	32400	---	तदैव	तदैव
कुर्सी (wooden)	29	250	7250	---	तदैव	तदैव
कुर्सी (प्लास्टिक)	24	150	3600	---	तदैव	तदैव
पंखे	17	350	5950	---	तदैव	तदैव
बेन्च	01	100	100	---	तदैव	तदैव
रैक	3	200	600	---	तदैव	तदैव
स्टूल	01	60	60	---	तदैव	तदैव
मेज	26	250	6500	---	तदैव	तदैव
कंप्यूटर मेज	05	700	3500	---	तदैव	तदैव
कंप्यूटर	03	15000	45000	---	तदैव	तदैव
फोटोस्टेट मशीन	01	27000	27000	---	तदैव	तदैव
		योग =	**1,65,960/-**			

लेखापरीक्षा अवधि के माह 11.2017 तक न तो उक्त सामग्रियों की नीलामी की गई थी एवं न ही निष्प्रयोज्य घोषित किया गया था। निष्प्रयोज्य सामग्रियों को और अधिक मूल्य ह्रास से बचाने के लिए समुचित नीलाम एवं नीलामी के उपरान्त प्राप्त धनराशि को यथाशीघ्र कोषागार में जमा किया जाना चाहिए था।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर जिला पूर्ति अधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि "*अक्रियाशील सामग्रियों को यथाशीघ्र निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलामी की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी*"। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुपयोगी सामग्री को निष्प्रयोज्य घोषित

कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी कर, उक्त सामग्रियों को और ज्यादा मूल्य ह्रास होने एवं विभागीय प्राप्तियों की हानि से बचाया जाना चाहिये था।

अत: धनराशि रु 1.66 लाख के निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर- 2:- रु 6.27 लाख की प्राप्त धनराशियों की प्रविष्टि रोकड़-बही में न किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका (Volume- v, Part-1) के नियम– 21 अनुसार स्पष्ट वर्णित है कि "All moneys received by or tendered to government servants in their official capacity shall, without undue delay be paid in full into the treasury or into the bank and shall be included in the government account. Money received as aforesaid shall not be appropriated to meet departmental expenditure, nor otherwise kept apart from the government account एवं नियम–22 के अनुसार स्पष्ट वर्णित है कि "The money received on behalf of the Central or other State Government shall be deposited into the Treasury or Bank". एवं नियम-26 के अनुसार स्पष्ट वर्णित है कि "Government servants receiving money on behalf of the Government, should be entered in the receipt. The officer should satisfy himself at the time of signing the receipt that the amount has been entered in the cash-book.

कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून की लेखापरीक्षा अवधि माह 01.2013 से 11.2017 की प्राप्तियों से संबन्धित लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि माह 01.2013 से 11.2017 तक प्राप्तियों के रूप में कार्यालय को कुल धनराशि रु 6,26,703/- प्राप्त हुई थी। इस धनराशि में 02 वर्ष 03 माह (माह 01.2013 से 03.2015 तक) की "सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता अर्थदण्ड, गैस अर्थदण्ड, दुकान अनुभाग प्राप्ति, पेट्रोल पंप प्राप्ति" अनुभागों की प्राप्तियाँ, लेखा-अभिलेखों को लेखापरीक्षा को उपलब्ध न करा पाने के कारण, सम्मिलित नहीं है। उक्त लेखा-अभिलेखों को लेखापरीक्षा को उपलब्ध न करा पाने के कारण, इन अभिलेखों की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी। विगत वर्षों के माह 01.2013 से लेखापरीक्षा अवधि के माह 11.2017 तक प्राप्त रु 6,26,703/- की धनराशियों की प्रविष्टियाँ रोकड़-बही में दर्ज नहीं की गयी थी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबन्धित, माह 01.2017 से 10.2017 तक प्राप्त धनराशि रु 510/- को 2 माह से 12 माह देरी से कोषागार में दिनांक 08.12.2017 को जमा किया गया था। अतएव धनराशियों को कोषागार में यथाशीघ्र जमा करवाने के सम्बन्ध में कार्यालय की उदासीनता प्रकट हुई। साथ ही, माहों 09.2016, 10.2016, 11.2016, 12.2016 एवं 11.2017 की प्राप्त कुल धनराशि रु 350/- (190+50+30+50+30) के चालान की प्रतिलिपि लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवायी गयी। RTI रजिस्टर में आवेदक से प्राप्त होने वाली धनराशि की प्रविष्टि नहीं की जा रही थी, जिस कारण RTI Act 2005 की प्राप्त धनराशियों का सही आँकड़ा ज्ञात नहीं की जा सका। प्राप्तियों को रोकड़-बही में दर्ज न करने के कारण समस्त प्राप्तियों को कितनी देरी से कोषागार में जमा किया गया था, ज्ञात नहीं किया जा सका। रोकड़-बही में

प्रत्येक पृष्ठ पर कुल योग नहीं किया था, न ही Opening एवं Closing की प्रविष्टियाँ की जा रही थी। माह के अंत में मासिक लेखाबन्दी भी नहीं की गई थी।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर जिला पूर्ति अधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए प्राप्तियों को देर से जमा करने के सम्बन्ध में कहा कि "***भविष्य में यथाशीघ्र प्राप्तियों को कोषागार में जमा किया जायेगा***" एवं उपरोक्त 02 वर्ष 03 माह के अभिलेखों को लेखापरीक्षा को उपलब्ध न करवा पाने के सम्बन्ध में कहा कि "***वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, परन्तु छानबीन की जायेगी एवं अगली लेखापरीक्षा को वस्तु-स्थिति से अवगत करा दिया जायेगा***" एवं उपरोक्त चालान उपलब्ध न करवा पाने के सम्बन्ध में कहा कि "***धनराशि रु 350/- जमा नहीं की गई है परन्तु शीघ्र ही कोषागार में जमा करने के उपरान्त चालान की प्रतिलिपि लेखापरीक्षा को प्रेषित कर दी जायेगी***" एवं उपरोक्त धनराशि रु 6,26,703/- की रोकड़-बही में प्रविष्टि के सम्बन्ध में कहा कि "***नहीं, परन्तु भविष्य में सम्पूर्ण प्राप्तियों को रोकड़-बही में दर्ज किया जायेगा***"। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्ष 2013 से कुल प्राप्तियों के सम्बन्ध में नियमों का उलंघन किया जा रहा था।

अतः रु 6.27 लाख की प्राप्त धनराशियों की प्रविष्टि रोकड़-बही में न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN	TAN
माह 01.2013 में आहरण एवं संवितरण अधिकारी की शक्तियाँ प्राप्त होने के उपरान्त, यह लेखापरीक्षा, इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा थी।				

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
माह 01.2013 में आहरण एवं संवितरण अधिकारी की शक्तियाँ प्राप्त होने के उपरान्त, यह लेखापरीक्षा, इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा थी।				

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु जिला पूर्ति अधिकारी, कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, राजीव गांधी बहुद्देशीय कॉम्प्लेक्स, चतुर्थ तल, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून- 248001 तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-
अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्री एम. एस. विसेन	जिला पूर्ति अधिकारी	माह 01.2013 से दिनांक 14.02.2013 तक
श्री श्याम आर्य	जिला पूर्ति अधिकारी	दिनांक 15.02.2013 से 18.08.2014 तक
श्री पी. एस. पांगती	जिला पूर्ति अधिकारी	दिनांक 19.08.2014 से दिनांक 10.07.2017 तक
श्री विपिन कुमार	जिला पूर्ति अधिकारी	दिनांक 11.07.2017 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला पूर्ति अधिकारी, कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी, राजीव गांधी बहुद्देशीय कॉम्प्लेक्स, चतुर्थ तल, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून- 248001 को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248001" को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र